प्रेस नोट थाना तिलहर

जनपद शाहजहाँपुर

दिनाँक - 09.07.2026

थाना तिलहर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के 102 अभियोगों से संबंधित 923 लीटर अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थानों पर लंबित मालों के शीघ्र एवं विधिसम्मत निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के नेतृत्व में थाना तिलहर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए आबकारी अधिनियम से संबंधित मालों का नियमानुसार विधिवत विनिष्टीकरण किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिलहर, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 17.06.26 के अनुपालन में थाना तिलहर पर पंजीकृत वर्ष 2025 के 78 मालों तथा वर्ष 2026 के पंजीकृत 24 मालों, कुल 102 आबकारी अधिनियम के 102 अभियोगों से संबंधित बरामद 884 लीटर कच्ची शराब तथा 39 लीटर देशी शराब (156 पव्वे), कुल 923 लीटर शराब का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया।
उक्त कार्यवाही के दौरान थाना परिसर में चौकीदारों की सहायता से गड्ढा खुदवाकर समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समस्त शराब को नष्ट किया गया। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए न्यायालय के आदेश एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया। उक्त विनिष्टीकरण की कार्यवाही थाना तिलहर के हेड मोहर्रिर धीर सिंह द्वारा संपादित कराई गई। इस दौरान समिति के सदस्य एवं थाना पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।